रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082021-228875 CG-DL-E-10082021-228875

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 2021/श्रावण 19, 1943

No. 448]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 2021/SRAVANA 19, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 4 अगस्त. 2021

सा.का.िन. 547(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित प्रारूप कुछ नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110बी की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इन प्रारूप नियमों से संबंधित आपित्तयां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन और टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेज सकते हैं या comments-morth@gov.in पर ई-मेल किया जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

4420 GI/2021 (1)

प्रारूप नियम

- 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।
 - (2) इन नियमों में यथा-निहित के अलावा, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 126 में,
 - (i) प्रथम परंतुक में, अक्षरों और शब्दों "विशेष रूप से एआईएस (ऑटोमोटिव उदयोग मानक)" को निम्नलिखित अक्षरों, संख्याओं और शब्दों अर्थात्: "विशेष रूप से एआईएस 161 (ऑटोमोटिव उदयोग मानक)" से प्रतिस्थापित किया जाए।
 - (iii) द्वितीय परंतुक में अक्षरों "एआईएस" को निम्नलिखित अक्षरों, संख्याओं और शब्दों अर्थात्: "एआईएस 161 से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. आरटी-11036/63/2019-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.-----(अ) दिनांकित ------के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2021

G.S.R. 547(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 110B of The Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- 1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 126, -

G.S.R. ____(E) dated ____.

- i. in the first proviso, replace the letters and words "specifically AIS (Automotive Industry Standard)" with the following letters, numbers and words, namely: "specifically AIS 161 (Automotive Industry Standard)"
- ii. in the second proviso, replace the letters "AIS" with the following letters, numbers and words, namely: "AIS 161"

	[F. No. RT-11036/63/2019-MVL]
	AMIT VARADAN, Jt. Secy.
Note.—The principal rules were published in the Gazette of	f India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)

vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number